U;k;ky; HkicU/k vf/kdkjh ,o inu jktLo

vihy ikf/kdkjh chdkuj

egkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy l0 13@2010

1. किशनलाल पुत्र भंवरलाल पुत्र डालूराम जाति स्वामी निवासी राजगढ जिला चूरू ।

&अपीलांट

cuke

1. प्रकाश नारायण पुत्र श्योलाल जाति मेघवाल निवासी वार्ड न0 16 कस्बा राजगढ जिला चूरू ।
2. मृतक सुरजाराम पुत्र अरजनराम जाति नाई निवासी वार्ड न0 16 राजगढ जिला चूरू ।
3. बजरंगसिह खोलायत पुत्र श्री मोतीसिंह राजपुत निवासी वार्ड न0 26 कस्बा राजगढ ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसील राजगढ ।
5. नगर पालिका राजगढ जरिये अधिशाषी अधिकारी राजगढ ।

—रेस्पोडेन्टस

6. केशराराम पुत्र स्व0 धन्नाराम जाति माली निवासीगण राजगढ जिला चूरू ।
7. छगनलाल पुत्र स्व0 धन्नाराम जाति माली निवासीगण राजगढ जिला चूरू ।
8. चेतराम पुत्र स्व0 धन्नाराम जाति माली निवासीगण राजगढ जिला चूरू ।
9. चोखाराम पुत्र स्व0 धन्नाराम जाति माली निवासीगण राजगढ जिला चूरू ।
10. प्रभुराम पुत्र स्व0 धन्नाराम जाति माली निवासीगण राजगढ जिला चूरू ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:52:59 IST
Reason: SelfAttested

11. सीताराम पुत्र स्व0 धन्नाराम जाति माली निवासीगण राजगढ जिला चूरू ।

12. मानूराम पुत्र स्व0 धन्नाराम जाति माली निवासीगण राजगढ जिला चूरू ।

13. मृतक मु0 कुनणी बेवा स्व0 धन्नाराम जाति माली निवासीगण राजगढ जिला चूरू ।

14. भीमराम पुत्र लिछमण जाति माली निवासी राजगढ जिला चूरू ।

15. सुभाष पुत्र मांगेराम जाति नाई निवासी राजगढ जिला चूरू ।

—गौण रेस्पोडेन्टस

mifLFkr%& 1. श्री मुलचंद आचार्य अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री अभिषेक टावरी अधिवक्ता अपीलांट (अधिकृत)
3. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस
4.श्री ऋषिराज सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh jktx< ftyk p: d

fu.k; o fMØh fnukd 22-02-2010 d fo:} vihy

vUrxr /kkjk 223 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e1955

fu.k; दिनांकः—29.07.02021

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला चूरू के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2010 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 154/1 रकबा 12.15 बीघा रोही लुदी धाजू तहसील राजगढ जिला चूरू जिसके हाल ख0न0 2087/1627/244/1 मीन तादादी 7.12 बीघा रोही राजगढ (शहरी) में स्थित है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत भूमि में रेस्पो0/वादी की उपयोग उपभोग की भूमि मानते हुए भूमि का इन्द्राज करने व नवीन खसरा दर्ज करने तथा इसमें कोई बाधा न डालने का आदेश पारित किया जिसके विरूद्व यह अपील पेश की गयी है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:52:59 IST
Reason: SelfAttested

2. अपीलांट् अभिभाषक ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट प्रकाशनारायण ने सहायक कलक्टर राजगढ जिला चूरू के न्यायालय में घोषणा खातेदारी अधिकार एवं शाश्वत व्यादेश प्राप्ती का वाद पेश कर गत भुखण्ड सं0 154/1 तादादी 12.15 बीघा वाके कस्बा राजगढ को मामचंद पुत्र टिकु जाति धाणक से विक्रय पत्र दिनांक 01.02.68 से क्रय किया जिसको

3. दिनांक 02.02.68 को उपपंजीयक राजगढ से पंजीबंद्व करवाया जिसके पूर्व में बाड़ी सुल्तान, भींवा पिसरान लिछमण माली, पश्चिम खेत हनुमान वल्द सुरजा नाई उतर में खेत महेन्द्र कुमार ब्राहमण व दक्षिण में आबादी स्थित है । वाद पत्र में प्रकाशनारायण ने कथन किया कि वर्तमान भूप्रबन्ध में उक्त भूमि ख0न0 154/1 को वर्तमान भूखण्ड सं0 244/1 वाके राजगढ की भूमि में गैर कानूनी रूप से शामिल कर दिया जिस कारण अपीलांट/प्रतिवादी सुरजाराम आदि के कब्जा उपयोग उपभोग में बाधा डालने की धमकी देने लगा है जिस कारण रेस्पो0/वादी उक्त भूमि की उतरी सीमा पूर्व से पश्चिम 65 गठठे लम्बी, दक्षिणी सीमा पूर्व से पश्चिम 57 गठठे लम्बी तथा पश्चिमी सीमा उतर से दक्षिण 38 गठठे चोढी व पूर्वी सीमा उतर से दक्षिण 58 गठठे चोडी बताते हुऐ वर्तमान भूखण्ड सं0 244/1 गैर मुमकिन सिवायचक में शामिल कर देना बताकर खातेदारी घोषित करवाना चाहा । रेस्पो0/वादी के अनुसार अनुतोष प्रदान करते हुए सहायक कलक्टर राजगढ ने दिनांक 22.02.10 को वाद सं0 54/06 को डिक्री कर दिया दोराने सुनवाई वाद अपीलांट/प्रतिवादी भंवरलाल को बतौर प्रतिवादी संयोजित किया गया । अधिनस्थ न्यायालय दोराने विचारण तहसीलदार व हल्का पटवारी से मौका की कोई रिपोर्ट नही मंगवाई जिससे यह साबित होता हो की गत ख0न0 154/1 को वर्तमान भूखण्ड सं0 244/1 गैर मुमकिन सिवायचंक में शामिल कर दिया हो जिस मोका रिपोर्ट के अभाव में वाद को डिक्री किया जाना विधि सम्वत नही रहा है रेस्पो0/वादी ने वादपत्र में जो उतर सीमा व दक्षिण सीमा, पश्चिक सीमा, पूर्व सीमा के गठठै व नाप वर्णित किये है जिसके संबंध में कोई नक्शा पेश नही किया है जिससे रेस्पो0/वादी का कथन साबित होता हो । ख0न0 244/1 गैर मुमकिन सिवायचक भूमि है जिसमें रेस्पो0/वादी के द्वारा ख0न0 154/1 की भूमि को शामिल नही किया गया है । ख0न0 244/1 सार्वजनिक शोच आदि के काम में ली जा रही है कभी भी काश्त के रूप में नही ली गई है । न्यायालय विशिष्ट न्यायधिश चूरू ने प्रकरण सं0 9/05 के निर्णय दिनांक 29.01.08 में भी वादगत भूमि को सार्वजनिक तोर पर बच्चे व औरते के शौच करने जाने हेतु कार्य में लिया जाना माना है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई के दोरान प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम का देहांत हो गया जिसके खिलाफ वादी प्रकाशनारायण ने मुख्य प्रतिवादी बनाकर वाद पेश किया था जिसको ख0न0 154/1 के पश्चिम में खेत हनुमान वल्द सुरजाराम नाई का होना वर्णित किया लेकिन सुरजाराम की मृत्यु के बाद स्वयं प्रकाशनारायण ने प्रार्थना पत्र पेश कर सुरजाराम के वारिसान के विरूद्ध कोई [illegible] नही चाही जिससे भी साबित होता है कि प्रकाशनारायण [illegible] कोई भी वादकारण हासिल नही हुआ व काज आफ एक्शन समाप्त हो गया । प्रकाशनारायण ने जिस ख0न0 154/1 की भूमि को ख0न0 244/1 में शामिल करना बताया है उसके बारे में सही वस्तुस्थिति रिकार्ड पर पेश नही की, कोई नक्शा, माप, मौकारिपोर्ट पेश नही की इसलिये किस स्थान की घोषणा करवाना चाहा साबित नही किया है । तनकी सं0 1 वादी को यह साबित करना था कि गत ख0न0 154/1 क्षेत्रफल 12.15 बीघा वाके रोही लूदी छाजू को वर्तमान ख0न0 244/1 रोही राजगढ सिवायचक में शामिल कर दिया गया जिस तनकी के बारे में कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:52:59 IST
Reason: Self Attested

दस्तावेजी प्रमाण पेश नही किया गया है जिससे यह तनकी साबित वादी रेस्पोडेन्ट नही कर पाया । अधिनस्थ न्यायाल ने अपने निर्णय के पेज सं0 10 की दूसरी मद में यह माना कि यदपि गत ख0न0 153 के वर्तमान ख0न0 244/1 में शामिल हुई है मगर गत ख0न0 153 की कितनी भूमि वर्तमान ख0न0 244/1 में शामिल हुई है यह तथ्य किसी भी दस्तावेज से प्रमाणित नही है । तनकी सं0 2 के संबध में प्रकाश्नारायण ने गत ख0न0 154/1 को हाल ख0न0 252 के पूर्व में, ख0न0 253 के दक्षिण में व भींवा सुल्तान माली के पश्चिम में मौका पर मौजूद होना बताया है इसी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का कब्जा काश्त बरूवे बैनामा साबित माना है लेकिन वादी ने काश्त बाबत कोई गिरदावरी पेश नही की है । ख0न0 252 सूरजा वल्द नथुराम के नाम दर्ज हो गया लेकिन कब्जा हनुमान वल्द सुरजाराम वल्द सालग नाई का रहा जबकि ख0न0 253 सूरजा वल्द नथू के नाम का था जो सुरजा वल्द सालग नाई के नाम दर्ज हो गया । जिस पर हनुमान के आवेदन पर मिसल नं0 742/69 का निर्णय दिनांक 25.09.69 को किया जाकर नक्शा ट्रेस ख0न0 252 का बनाया गया व ख0न0 252 व 253 की मौका जांच की गई जिसके मुताबिक ख0न0 244/1 का रकबा 74.6 बीघा में से 3.15 बीघा को ख0न0 252 के बजाय 9.19 बीघा तथा 244/1 का रकबा 74.6 बीघा के बजाय 70.11 बीघा किया गया नक्शा में वादी का तथाकथित क्रय शुद्वा ख0न0 154/1 आसपास भी नही है इसलिये ख0न0 244/1 में भूमि सामिल होने का सवाल ही पेदा नही है । ख0न0 1526/1537/244/1 की खातेदारी 2.10 बीघा भींवाराम माली आदि की रही है राजस्व रेकार्ड में ख0न0 244/1 सिवायचक दर्ज चला आ रहा है । वादी ने अपनी खरीदशुद्वा भूमि ख0न0 154 में से काफी भूमि प्लोट काट कर विक्रय कर दी अब बिना किसी आधार के लालचवश ख0न0 244/1 सिवायचक में अपनी भूमि सामिल होना बता कर सिवाययक भूमि को हड़पना चाहता है इसी गरज से दावा किया जिस को अधिनस्थ न्यायालय ने डिक्री कर सिवायचक भूमि की खातेदारी घोषित कर दी जो विधि विरूद्व है । वादी ने जिस मांमचद धाणक से जमीन क्रय करना वर्णित किया है मामचंद धाणक की जमीन ख0न0 551/1520 है जब कि बैनामा में 154/1 का हवाला है इसका कोई रेकार्ड वादी ने पेश नही किया है कि ख0न0 154/1 मामचंद का रहा हो बेवल बैनामा में ख0न0 154/1 वर्णित कर देने से यह भूमि मामचंद की नही हो जाती है । ख0न0 153 को भूप्रबन्ध विभाग के द्वारा सिवायचक का होना अपने पत्र में बताया है जिसका वर्तमान ख0न0 244/1 है उक्त तथ्यो से प्रमाणित है कि ख0न0 154/1 में ख0न0 244/1 की कोई भूमि शामिल होना मानकर [illegible] वाद डिक्री किया गया व विधिविरूद्व किया है जो निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2010 अपास्त किये जाने योग्य है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:52:59 IST
Reason: SelfAttested

4. रेस्पोडेन्टस अभिभाषक ने अपीलांट पक्ष के अभिभाषक के तथ्यों को नकारते हुऐ अपनी लिखित बहस में कथन किया कि रेस्पो0 सं0 1 प्रकाशनारायण ने एक कृषि भूमि पुराना खसरा सं0 154/1 तादादी 12.15 बीघा खाम रोही (लूदी छाजू) राजगढ की इस भूमि के पूर्व खातेदार मामचंद पुत्र टीकु जाति धाणक निवासी राजगढ से दिनांक 01.02.1968 को तहरीर करवाकर दिनांक 02.02.

1968 को बैनामा पंजीबद्व करवाया था । यह खेत वादी/रेस्पो0 सं0 1 के खरिदने से पहले मामचंद की खातेदारी का था जो जमाबंदी सम्वत 2019–22 से साबित होता है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन्ही दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य व कानून के मूताबिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2010 पारित किया है वादी/रेस्पो0 सं 01 प्रकाशनारायण के द्वारा खेत विक्रय पत्र दिनांक 15.02. 1968 को नेतराम व सुल्तान पुत्र दुलाराम माली निवासी राजगढ ने मामचंद व प्रकाशनारायण क विरूद्व सहायक जिलाधीश राजगढ के न्यायालय में वादगत कृषि भूमि ख0न0 154/1 रोही राजगढ को अपनी खातेदारी घोषित कराने व बैनामा दिनांक 02.02.1968 को गलत करार देने बाबत पेश किया था जो दावा दोनो पक्षो की सुनवाई के पश्चात निर्णय दिनांक 24.02.1976 के द्वारा मामचंद की खातेदारी सही व कानून सम्वत मानते हुऐ दावा खारिज कर दिया व बैनामा बैचान को सही माना गया । उक्त निर्णय की अपील राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में हुई जो खारिज हो चुकी है । वादी/रेस्पो0 सं0 1 प्रकाशनारायण ने वादगत कृषि भूमि खरिद की उस वक्त बंदोबस्त की कार्यवाही चल रही थी तथा रोही लूदी छाजू को राजगढ में शामिल करते हुए सभी ख0न0 154/1 तादादी 12.15 बीघा कच्ची माप की भूमि को पैमाईश के दौरान नये खसरा नम्बर 244/1 तादादी 70.11 बीघा मे शामिल करते हुऐ उसका खाता पायतन के नाम से बना दिया गया । प्रकाशनारायण खरिद शुद्वा 12.15 बीघा भूमि से पक्का रकबा 7.12 बीघा रोही राजगढ बना है इस संबंध में नये पुराने मिलान के लिये ख0स0 244/1 का खसरा बंदोबस्त की प्रतिलिपि से दावा में साबित किया है । पैमाईश के दोरान वादगत भूमि का रकबा पायतन के खातेदारी जमीन में शामिल कर देने के कारण से रेस्पौ0/वादी ने उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने एवं बैनामा दिनांक 02.02.1968 से खरिद शुद्वा वादगत भूमि ख0स0 244/1 में से 7.12 बीघा भूमि जिसके आसे पासे बैनामा में दर्ज है का एक घोषणात्मक एवम डिक्री हेतु वाद स0 148/84, 54/2006 प्रकाशनारायण बनाम सुरजाराम व सरकार के विरूद्व दिनांक 15.08.84 को अधिनस्थ न्यायालय के यहां पेश किया था उक्त दावे में अपीलांट/प्रतिवादी भंवरलाल मूल रूप से पक्षकार नही था बल्कि उसके द्वारा आवेदन करने पर पक्षकार बनाया गया था । भंवरलाल के अलावा धन्नाराम माली के वारिस पक्षकार बने एवं भीमराज पुत्र लिछमण माली, सुभाषचंद्र पुत्र मांगेराम नाई भी पक्षकार बने मगर इन लोगो ने वास्तविक स्थिति स्वीकार करते हुए विवादित भूमि को प्रकाशनारायण की भूमि मानते हुऐ दावा में राजीनामा प्रस्तुत कर दिया । अपीलांट [illegible]ी इस कृषि भूमि का न तो खातेदार काश्तकार रहा है न ही वर्तमान में । उसका इस कृषि भूमि से किसी प्रकार से संबंध सरोकार नही है । सार्वजनिक प्रकृति की होने व रास्ता आदि के सावजनिक उपयोग का जो आधार अपीलांट ने अपील में उठाया है वे तमाम आधारो को सिविल न्यायाधिश (क–ख) राजगढ व अतिरिक्त जिलाधिश राजगढ ने अपील में नकारते हुऐ सार्वजनिक हित का वाद व अनुवानी जनजागरण परिषद राजगढ व प्रकाशनारायण आदि में दावा व अपील खारिज किये जा चुके है जो इस अपील में भी खारिज किये जाने योग्य है । रेस्पो0/वादी के द्वारा वादगत कृषि भूमि खरिदने के पश्चात अपीलांट ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:52:59 IST
Reason: SelfAttested

दिवानी वाद सं0 58/2000 अनुवानी जनजागरण परिषद राजगढ बनाम प्रकाशनारायण आदि इस कृषि भूमि के बाबत रेस्पो0 प्रकाशनारायण के बैनामा दिनांक 02.02.1968 को निरस्त करवाने का वाद न्यायालय सिविल न्यायधीश (क–ख) राजगढ में पेश किया था जिसमें वादी ने यह आधार लिया था कि उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की है तथा जनता के शोच के उपयोग में आ रही है जिसका पुराना ख0स0 153 था सिविल न्यायाधीश (क–ख) राजगढ उस वाद में आठ तनकी कायम करते हुए दोनो पक्षो के साक्ष्य के पश्चात निर्णय दिनांक 13.03.2008 के द्वारा उक्त भूमि रेस्पो0/वादी प्रकाशनारायण की मानते हुए तथा बैनामा दिनांक 02.02.68 को सही ठहराते हुऐ उक्त वाद को खारिज कर दिया उक्त निर्णय व डिक्री की अपील सं0 6/2008 अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायधीश राजगढ के समक्ष पेश हुई लो अपीलीय निर्णय दिनांक 02.05.2008 को खारिज हो गई तथा वादगत कृषि भूमि रेस्पो0/वादी प्रकाशनारायण के खाते की मानते हुऐ बैनामा वैध ठहराया । अपीलांट/प्रतिवादी अपील में वादगत कृषि भूमि के आसे पासे बैनामे के आसे पासे से मैल नही खाते है अपील में बिन्दु उठाया है जो कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.02.2010 में रेस्पो0/वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से मिलान करते हुऐ दस्तावेजो के आधार पर आसा पासा मिलने का निर्णय किया है इसलिये अपील में मात्र यह लिख देना कि आसा पासा मेल नही खाता है गलत व निराधार है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एव डिक्री दिनांक 22.02.2010 को यथावत रखी जावे ।

5. हमने उभय पक्ष अभिभाषकगण की लिखित बहस व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया अपीलांट द्वारा विवादित भूखण्ड गत ख0न0 154/1 तादादी 12.15 बीघा वाके लूदी छाजू राजगढ मे स्थित है वो मामंचद के खातेदारी की नही रही है तथा मामंचद द्वारा किया गया बैनामा भी अमान्य है किन्तु रेस्पो0/वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी (खेवट खतौनी) ग्राम लूदी छाजू तहसील राजगढ सम्वत 2011–14, 2015–19, 2019–22 में खसरा नम्बर 154/1 तादादी 12.15 बीघा का खातेदार मामचंद के नाम से ही है । प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित होता है कि सम्वत 2011 से 14, 2015 से 19, 2019 से 22 में खसरा नम्बर 154/1 मीन ग्राम लादू छाजू कुल तादादी 12.15 बीघा के खातेदारी अधिकार मामचंद में विहित थे । उक्त जमांबदीयों में मामचंद के साथ साथ ईश्वर व कालू के नाम भी दर्ज है जिनसे स्पष्ट होता है कि मामचद एक मात्र भूमि का खातेदार नही था [illegible] व ईश्वर का नाम उपरोक्त जमाबंदियों में बतौर काश्तकार दर्ज है जबकि खातेदार के रूप में मामचंद का ही नाम दर्ज है । इसी प्रकार खसरा गिरदावरी में भी खसरा नम्बर 154/1 तादादी 12.15 बीघा का खातेदार मामचंद दर्ज होना दर्शाया गया है । अपीलांट/प्रतिवादी का यह कथन कि ख0न0 154/1 की भूमि जोड़पायतन की भूमि थी । रेस्पो0/वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा मिलान बंदोबस्त में ख0न0 154/1 मिन की भूमि को काश्त योग्य भूमि दर्शाया गया है तथा उक्त भूमि में विभिन्न जिन्सो की खेती होना बताया गया है इन सभी साक्ष्यों के आधार पर विवादित ख0स0 154/1 तादादी 12.15 बीघा भूमि मामचंद के नाम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:52:59 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी की भूमि रही है तथा इनके द्वारा किया गया बैनामा दिनांक 02.02. 1968 बिल्कुल सही प्रतीत होता है । विवादित गत ख0न0 154/1 तादादी 12.15 बीघा वाके रोही लूदी छाजू तहसील राजगढ हाल ख0न0 2087/1622/244/1 तादादी 7.12 बीघा वाके रोही राजगढ जिसके पूर्व में बाड़ी सुल्तान,भींवा पिसरान लिछमण माली, पश्चिम में खेत हनुमान वल्द सुरजा नाई उतर में खेत महेन्द्र कुमार आदि पुत्र मातुराम ब्राहमण व दक्षिण में आबादी राजगढ स्थित है का रेस्पो0/वादी खातेदार काश्तकार है, ख0न0 154/1 तादादी 12.15 बीघा के बैनामे में जो आसा पासा लिखवाये गये हे वो ही आसा पासा हाल ख0न0 2087/1622/244/1 मिन तादादी 7.12 बीघा में मोके पर है । जिससे यह साबित होता है कि गत खन0 154/1 तादादी 12.15 बीघा व हाल ख0न0 2087/1622/244/1 मिन तादादी 7.12 बीघा एक ही खसरा नम्बर है । विवादित भूमि का वाद विशिष्ट न्यायालय (एस सी– एस टी) चूरू, सिविल न्यायधीश (क–ख) राजगढ, अतिरिक्त जिलाधीश राजगढ व अपर जिला, सेशन न्यायालय राजगढ व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में भी प्रस्तुत किये गये जिनमें भी समस्त न्यायालय द्वारा विवादित भूमि का खातेदार मामचंद को माना गया व मामचंद द्वारा किये गये बैनामे दिनांक 02.02.68 को वैध ठहराया गया है । इसलिये यह न्यायालय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2010 में किसी तरह का रद्दोबदल करना उचित नही समझती है ।

6. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाट की अपील खारीज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2010 की पुष्टि की जाती है । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।

7. निर्णय आज दिंनाक 29.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkMh½
Hkw-icU/k vf/kdkjh ,oa
inu jktLo vihy izkf/kdkjh
chdkusj

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:52:59 IST
Reason: SelfAttested